

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक सं 7(88) शिक्षा-2/2018/जयपुर दिनांक 12.02.19 एवं ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (ख-1) 06 प्रा-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014 को अनुपालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिचोलाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में वायव्य परीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अर्थात् अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

| क्र०सं | मान के प्रदत्त स्थान (राजभावे/राजभावे) | विषय | लिय गये अवकाश की अवधि | दिनों की संख्या | अवकाश का प्रकार |
|-------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | अखिल सेवा राधानि नायौती करौली | राज्यायन विज्ञान | 16.07.18 से 25.07.18 | 10 दिवस | अर्थात् अर्थात् अवकाश |
| योग 10 दिवस | | | | | |
| 2 | अखिल सेवा राधानि नायौती करौली | गृह विज्ञान | 04.04.18 से 03.05.18 | 30 दिवस | अर्थात् अर्थात् अवकाश |
| | | | 16.09.18 से 18.10.18 | 33 दिवस | |
| योग 63 दिवस | | | | | |



(निधमल डिडेस)

अ.इ.सं.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 27/06/2019

ज्ञापक शिक्षा/मा/संस्था/सी-4/रजीग/अवकाश/2019-20

प्रति लेवे- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, भरतपुर/जयपुर
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, करौली/बांसवाड़ा
03. संबंधित स्थानाधिकारी राजभावे
04. संबंधित अर्थात्
05. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
06. संबंधित पत्राचार


संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर